प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' इकतालीस '

[9/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 5384]

परिशिष्ट का प्रपत्र-

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 5384 प्रश्नांश "क" की जानकारी

बैठक का दिनांक 9/3/2017 सदस्य श्री बाला बच्चन

मध्यप्रदेश शासन

सहकारिता विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 3-1/2012/15-1

भोपाल, दिनांक 11.08.2016

प्रति,

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.
भोपाल

विषयः- सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को (शून्य) प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिये जाने की योजना वर्ष 2016-17 में निरंतर रखे जाने के संबंध में।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि :-

वर्ष 2016-17 में सहकारी बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिये जाने की गत वर्ष के लिये लागू योजना को भारत सरकार के इस योजनान्तर्गत जारी होने वाले निर्देशों के अधीन लागू किया जावे और योजना में खरीफ सीजन हेतु निर्धारित ड्यू डेट 28 मार्च के स्थान पर 28 फरवरी, 2017 रखी जावे।

उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(प्रकाश खरे) 11/8/16
उप सचिव
म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग

प्रा.योजना
11/8/16

पृ.क्रमांक एफ 3-1/2012/15-1

भोपाल, दिनांक 11.08.2016

प्रतिलिपि :-

891
11-8-16

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल।
5. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
6. संचालक, बजट पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, म.प्र. भोपाल।

उप सचिव
म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3-1/2012/15-1 भोपाल, दिनांक 23.02.2017

प्रति,

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.
भोपाल

25 FEB 2017

विषय :- सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को (शून्य) प्रतिशत दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिये जाने की योजना वर्ष 2016-17 में निरन्तर रखे जाने के संबंध में ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसख्यक ज्ञाप दिनांक 11.08.2016

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञाप द्वारा वर्ष 2016-17 में सहकारी बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिये जाने की गत वर्ष के लिये लागू योजना को निरन्तर रखते हुए खरीफ सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च के स्थान पर 28 फरवरी,2017 निर्धारित की जाकर कियान्वयन के निर्देश जारी किये गये थे ।

2/ इस संबंध में राज्य शासन के संदर्भित ज्ञाप द्वारा जारी निर्देश में खरीफ सीजन हेतु निर्धारित ड्यू डेट 28 फरवरी,2017 में संशोधन करते हुए ड्यू डेट 28 मार्च,2017 निर्धारित की जाती है । शेष निर्देश यथावत रहेगें ।

(मनोज सिन्हा) 23/2/2017
अवर सचिव
म.प्र.शासन,सहकारिता विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-1/2012/15-1 भोपाल, दिनांक 23.02.2017

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग,मंत्रालय, भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन,मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय, भोपाल ।
5. प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल ।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,मान.सहकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) म.प्र.शासन सहकारिता विभाग, भोपाल ।

अवर सचिव
म.प्र.शासन,सहकारिता विभाग

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.